

**निर्णय बर्डजलास श्री निकया गोहाएन आई०ए०एस० जिला कलक्टर, झालावाड़**

मि०न० 105/अपील/20

सीताराम पुत्र पूरीलाल भील नि० सेमलीकंला तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजरथान सरकार जयें नायब तहसीलदार बकानी (रेस्पो०)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 11.09.2020 न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी  
मि०न० 545/20

उपस्थित:- पेरोकार सरकार

-: निर्णय :-

दिनांक: 10.11.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 11.09.2020 जो मिसल न० 545/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम सेमलीकंला की आराजी ख०न० 143 रकबा 0.15 बीघा किरम गै.मुमकीन रास्ता पर अतिकमी मानकर 30 दिवस का सिविल कारावास व 60 रुपये शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से सर्वथा विपरित एवं विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्ष रखने का समय नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट 7 दिवस के अन्दर पटवारी हल्का से कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा इसलिये कब्जा छोड़ने का शपथ पत्र साथ में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेनल्टी की राशि जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट या अपीलान्ट के दौरान सुनवाई न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने पर उनका पक्ष नहीं सुना जा सका इस कारण प्रकरण को निस्तारण मेरिट पर किया जा रहा है। दौरान सुनवाई पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर मिसल न० 100 निर्णय दिनांक 08.05.2019 से आराजी से बेदखल किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही नायब तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न आराजी पर से कब्जा हटा लेने बाबत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेंगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसाके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)

जिला कलक्टर  
झालावाड़

झालावाड़